न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 62/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 काला पुत्र उदाराम 2 मंगला पुत्र उदाराम 3 भूरा पुत्र उदाराम जाति राईका निवासी तिरसींगड़ा तहसील व जिला बाडमेर।		1 केसरा पुत्र रामाराम 2 जुगता पुत्र रामाराम 3 काला पुत्र नगा 4 उदा पुत्र देवा 5 देवा पुत्र माना जाति राईका निवासी तिरसिंगड़ा तहसील व जिला बाड़मेर 6 श्री तहसीलदार (भू.अ.) बाड़मेर जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री नाथूराम कुमावत, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री जोगेन्द्र कुमार, वकील अप्रार्थी सं0 01, 02 व 05

आदेश

दिनांक 06.02.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता उदाराम पुत्र नगाराम ने दिनांक 27.02.1974 को मुस्मात पार्वती बैवा रामाराम जाति राईका से उसकी खातेदारी की भूमि ग्राम तिरसिंगड़ा पटवार मण्डल बोला तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 06 रकबा 45.06 में से 22.13 बीघा , खसरा संख्या 45 रकबा 148.13 में से 74.06 बीघा एवं खसरा संख्या 44 रकबा 0.12 में से 0.06 बीघा भूमि क्रय की जिसमें विक्रय दस्तावेजन में केतागण के नाम इस प्रकार लिखे गये –उदा बेटा देवा, काला बेटा पोतरा नगा जाति रबारी और इसी आधार पर पटवारी द्वारा ग्राम तिरसिंगड़ा का नामान्तरकरण संख्या 14 इस प्रकार खोला–

उदा बेटा देवा

कला बेटा–पोतरा नगा

कौम राईका सा. देह।

प्रार्थीगण ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित कृषक के हैं तथा केतागण की वल्दियत जो गलत दर्ज हुई हैं उसका प्रार्थीगण को कोई ज्ञान नहीं रहा तथा प्रार्थीगण अपने पिता उदाराम द्वारा खरीदी भूमि पर काबिज हैं व काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीयान के पिता ने अपने द्वारा खरीदी उक्त भूमि में से खसरा संख्या 111/06 रकबा 22.13 बीघा का बैचान हस्तानान्तरण सन् 2009 में कर दिया जिस पर केता काबिज हैं। प्रार्थीगण के पिता उदाराम का देहान्त दिनांक– 01.03.2009 को हो गया हैं, परन्तु खातेदारी रेकर्ड की स्थिति ज्यों की त्यों हैं। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण विरासत का नामान्तकरण नहीं कर पा रहे है।

अतः ग्राम तिरसींगड़ा के खसरा संख्या 113/44 रकबा 0.0486 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 115/45 रकबा 12.0272 हैक्टेयर खातेदार उदा पुत्र देवा हिस्सा 1/2 व काला पुत्र नगा हिस्सा 1/2 दर्ज है जो कि अशुद्ध हैं उसके स्थान पर निम्नानुसार शुद्ध करवाने का आदेश फरमावें–

उदा पुत्र नगाराम

काला पुत्र उदाराम

जाति राईका निवासी तिरसिंगड़ा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 05 की ओर से वकील उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया कि अर्जीनवीस ने केता उदा व काला की वल्दियत स्पष्ट नहीं लिखी थी जिससे उदा की फौतगी पर उसके वारिसान के नाम उत्ताराधिकार का नामान्तरकरण नहीं खुला है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/160 दिनांक 09.01.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौके पर ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि ग्राम तिरसिंगड़ा में उदा वल्द देवा व काला पुत्र नगा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उदा वल्द नगा के नाम ग्राम गुडीसर पटवार मण्डल भादरेश के खसरा संख्या 61 में भी भूमि में जिसमें उदा की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान काला मंगला भूरा पिता उदा अनू पत्नी उदा के नाम नामान्तरकरण संख्या 432 फैसल है। मौजा तिरसिंगड़ा पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 113/44 व 115/45 के खातेदार उदा पुत्र देवा एवं काला पुत्र नगा के स्थान पर सही वल्दियत उदा पुत्र नगाराम एवं काला पुत्र उदाराम करने की अनुशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता की वल्दियत शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा विक्रय पंजीयननामा जमाबन्दी संवत् 2064–2067, 2073 से 2076 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 113/44 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा संख्या 115/45 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि में उदा पुत्र देवा 1/2 व काला पुत्र नगा 1/2 जाति राईका नाम दर्ज है जो कि गलत है। ग्राम तिरसिंगड़ा में उदा वल्द देवा व काला पुत्र नगा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लिहाजा मौजा तिरसिंगड़ा पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 113/44 व 115/45 के खातेदार उदा पुत्र देवा एवं काला पुत्र नगा के स्थान पर सही वल्दियत उदा पुत्र नगाराम एवं काला पुत्र उदाराम दुरुस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा तिरसिंगड़ा पटवार हल्का बोला तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 113/44 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु. व खसरा संख्या 115/45 रकबा 12.0272 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि में खातेदार उदा पुत्र देवा एवं काला पुत्र नगा के स्थान पर सही वल्दियत उदा पुत्र नगाराम एवं काला पुत्र उदाराम दुरुस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 06.02.2025 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर